

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची

पत्रांक :-वि0प्रा0योजना-53/11

/रांची, दिनांक-

प्रेषक,

गरिमा सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

सेवा में,

निदेशक,
बी0आई0टी0 सिन्दरी।

विषय :- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम बजट शीर्ष अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण तथा स्थापना एवं अन्य प्रयोजन हेतु कुल ₹0 10,15,00,000/- (₹0 दस करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-274/बजट दिनांक-31.03.2023 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-05/योजना दिनांक 15.05.2023 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में संबंधित शीर्ष में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु कुल ₹0 10,15,00,000/- (₹0 दस करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र0	इकाई का नाम	बी0आई0टी0 सिन्दरी	रा0अ0महा0, पलामू	कुल
1	वेतन (विपत्र कोड-43S220300112AN000101)	9200000.00	00.0	9200000.00
2	संविदा भता (विपत्र कोड-43S220300112AN000108)	20000000.00	5000000.00	25000000.00
3	मानदेय (विपत्र कोड-43S220300112AN000109)	00.00	5000000.00	5000000.00
4	कार्यालय व्यय (विपत्र कोड-43S220300112AN000315)	200000.00	1000000.00	1200000.00
5	कार्यालय उपकरण (विपत्र कोड-43S220300112AN000317)	1000000.00	10000000.00	11000000.00
6	सेमिनार/समारोह/कार्यशाला (विपत्र कोड-43S220300112AN000321)	100000.00	00.0	100000.00
7	आपूर्ति एवं सामग्री (विपत्र कोड-43S220300112AN000323)	15000000.00	15000000.00	30000000.00
8	व्यावसायिक सेवाएँ (विपत्र कोड-43S220300112AN000329)	5000000.00	5000000.00	10000000.00
9	पुस्तकालय, (विपत्र कोड-43S220300112AN000332)	2000000.00	2000000.00	4000000.00
10	दूरभाष (विपत्र कोड-43S220300112AN000333)	2000000.00	1000000.00	3000000.00
11	विद्युत व्यय (विपत्र कोड-43S220300112AN000337)	00.0	2000000.00	2000000.00
12	मोटर वाहन (विपत्र कोड-43S220300112AN000441)	00.0	1000000.00	1000000.00
	कुल	54500000.00	47000000.00	101500000.00
कुल 10,15,00,000/- (₹0 दस करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र				

- उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-112-इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-उप शीर्ष-AN-डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंधित राशि ₹0 52,50,00,000/- (₹0 बावन करोड़ पचास लाख) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
5. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड 2101 है।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
7. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी होंगे।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 02 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेंगे।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के संचालन हेतु आवश्यक क्रय का निष्पादन प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के द्वारा निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी के देख-रेख में तबतक होगा जबतक राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के लिए अलग से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित न हो जाय।
11. कंडिका 01 के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के कॉलम में उल्लेखित राशि बी0आई0टी0 सिन्दरी को ही आवंटित की जा रही है यह राशि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के लिए खर्च की जायगी। क्रय की गयी सभी सामग्री का Inventory list बनाकर प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी एवं DDO संयुक्त हस्ताक्षर कर अभिलेख संधारित रखेंगे। साथ ही रोकड बही खाता, स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य संबंधित अभिलेख राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के लिए अलग से तैयार कर संधारित रखेंगे।
12. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, धनबाद से की जायेगी।
13. स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) को होगा।
14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
15. प्रस्ताव पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
16. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चितक करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

ज्ञापांक :-वि0प्रा0योजना-53/11/06/वजट

/रांची, दिनांक- 24.05.2023

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

RAZ